# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–64 (लो0सू0अ0)/2023–24

सुश्री अपराजिता कुमारी, पिता–श्री अखिलेश्वर चौबे, ग्रा.–सिसवा, वार्ड नं.–4, पो.–सिसवा बसन्तपुर, था.–चौतरबा, जिला–पश्चिम चम्पारण–845453

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, उप कुलपति, बी.आर.ए.बी. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 03.08.2023 | सुश्री अपराजिता कुमारी, पिता–श्री अखिलेश्वर चौबे, ग्रा.–सिसवा, वार्ड नं.–4, पो.–सिसवा बसन्तपुर, था.–चौतरबा, जिला–पश्चिम चम्पारण–845453 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–शून्य इस कार्यालय में दिनांक–02.08.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।<br>अपीलार्थी सुश्री अपराजिता कुमारी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–शून्य को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, उप कुलपति, बी.आर.ए.बी. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।<br>साथ ही सुश्री अपराजिता कुमारी उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–शून्य की प्रति भी संलग्न है।<br>बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में रू 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है।<br>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।<br>अपीलकर्त्ता सुश्री अपराजिता कुमारी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br>3/8/2023<br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार | |

ज्ञापांक- 1254/रा0स0(iii) दिनांक- 04-08-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, उप कुलपति, बी.आर.ए.बी. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/सुश्री अपराजिता कुमारी, पिता-श्री अखिलेश्वर चौबे, ग्रा.-सिसवा, वार्ड नं.-4, पो.-सिसवा बसन्तपुर, था.-चौतरबा, जिला-पश्चिम चम्पारण-845453 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी